प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2023**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-89-8904-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन की योजना में व्यक्तिगत श्रेणी के उद्यमियों को अनुमन्य अनुदान के सापेक्ष अंतरित राज्यांश की धनराशि रू0-697.58 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-155/बजट/2022-23, दिनांक-14.01.2023 के संदर्भ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-89-8904-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनांतर्गत मानक मद 27-सब्सिडी मद में प्रावधानित धनराशि रू0 14155.22 के सापेक्ष चयनित व्यक्तिगत श्रेणी के 956 उद्यमियों में से सामान्य श्रेणी हेतु चयनित उद्यमी लाभार्थियों को अनुमन्य अनुदान के सापेक्ष आवश्यक **राज्यांश अनुदान की धनराशि 1364.25 लाख के सापेक्ष 697.58 लाख (रूपये छः करोड़ सत्तानबे लाख अठ्टावन हजार मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नवत है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध

1. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

3. निदेशक, उद्यान द्वारा कोषागार से धनराशि का अन्तरण पी0एफ0एम0एस0 से किया जायेगा।

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

5. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क्रण विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।

7. धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांकः 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवयार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,97,58,000 (रूपये छह करोड़ सत्तानबे लाख अठ्टावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखाशीर्षक 240100 1198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **E-1-578-X-2022-23-दिनांक:24-3-2023** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2023/189(1)/58-2-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in